रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 415] नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 28, 2004/वैशाख 8, 1926
No. 415] NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 28, 2004/VAISAKHA 8, 1926

## वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)

## आदेश

नई दिल्ली, 28 अप्रैल, 2004

**का.आ. 540(अ).**—व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 (1999 का 47) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 84 में, जो 15 सितम्बर, 2003 को प्रवर्तन में आई है, अन्य बातों के साथ यह उपबन्ध है कि बौद्धिक सम्पदा अपील बोर्ड (जिसे इसमें इसके पश्चात् अपील बोर्ड कहा गया है) की अधिकारिता, शक्तियों और प्राधिकार का उसकी न्यायपीठों द्वारा प्रयोग किया जा सकेगा और एक न्यायपीठ एक न्यायिक सदस्य और एक तकनीकी सदस्य से मिलकर बनेगी;

और उक्त अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (1) का खण्ड (ढ) "सदस्य" को, अपील बोर्ड के किसी न्यायिक सदस्य या किसी तकनीकी सदस्य के अर्थ में परिभाषित करता है और उसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को सम्मिलित करता है;

और उक्त अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (1) का खण्ड (यघ) "तकनीकी सदस्य" को ऐसे सदस्य के अर्थ में परिभाषित करता है जो न्यायिक सदस्य नहीं है;

और उक्त अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (1) का खण्ड (ट) "न्यायिक सदस्य" को उक्त अधिनियम के अधीन उस रूप में नियुक्त अपील बोर्ड के किसी सदस्य के अर्थ में परिभाषित करता है और उसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को सम्मिलित करता है;

और धारा 84 की उपधारा (3) के खण्ड (क) में यह उपबंध है कि उक्त धारा की उपधारा (2) में किसी बात के होते हुए भी, अध्यक्ष, उस न्यायपीठ के जिसमें उसे नियुक्त किया जाता है, किसी न्यायिक सदस्य या तकनीकी सदस्य के कृत्यों के निर्वहन के अतिरिक्त, किसी अन्य न्यायपीठ के यथास्थिति, न्यायिक सदस्य या तकनीकी सदस्य के कृत्यों का निर्वहन कर सकेगा;

और तकनीकी सदस्य की अनुपस्थिति छुट्टी के कारण बौद्धिक सम्पदा अपील बोर्ड की न्यायपीठों का गठन करने में कठिनाई आई है;

अत:, अब, केन्द्रीय सरकार, व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 (1999 का 47) की धारा 156 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम व्यापार चिह्न (कठिनाइयां दूर करना) आदेश, 2004 है।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

2. किसी तकनीकी सदस्य की अनुपस्थिति छुट्टी के कारण उस रूप में नियुक्त तकनीकी सदस्य के पद पर रिक्ति के दौरान, बौद्धिक सम्पदा अपील बोर्ड की न्यायपीठ अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से मिलकर बन सकेगी।

[सं. एफे- 8/5/04-आईआरएस]
उमेश कुमार, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**

**(Department of Industrial Policy and Promotion)**

**ORDER**

New Delhi, the 28th April, 2004

**S.O. 540(E).**—Whereas Section 84 of the Trade Marks Act, 1999 (47 of 1999) (hereinafter referred to as the said Act), which came into force on the 15th day of September, 2003 *inter alia* provides that the jurisdiction, powers and authority of the Intellectual Property Appellate Board (hereinafter referred to as the Appellate Board) may be exercised by Benches thereof and a Bench shall consist of one Judicial Member and one Technical Member;

And whereas clause (n) of sub-section (1) of Section 2 of the said Act defines "Member" to mean a Judicial Member or a Technical Member of the Appellate Board and to include the Chairman and the Vice-Chairman;

And whereas clause (zd) of sub-section (1) of Section 2 of the said Act defines "Technical Member" to mean a Member who is not a Judicial Member;

And whereas clause (k) of sub-section (1) of Section 2 of the said Act defines "Judicial Member" to mean a Member of the Appellate Board appointed as such under the said Act and to include the Chairman and the Vice-Chairman;

And whereas clause (a) of sub-section (3) of Section 84 provides that notwithstanding anything contained in sub-section (2) of the said Section, the Chairman may, in addition to discharging the functions of a Judicial Member or Technical Member of the Bench to which he is appointed, discharge the functions of the Judicial Member or, as the case may be, the Technical Member, of any other Bench;

And whereas a difficulty has arisen in constituting Benches of the Intellectual Property Appellate Board due to the leave of absence of the Technical Member;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 156 of the Trade Marks Act, 1999 (47 of 1999), the Central Government hereby makes the following Order, namely :—

1 **Short title and commencement.**—(1) This Order may be called the Trade Marks (Removal of Difficulties) Order, 2004.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. During the vacancy in the office of Technical Member, due to leave of absence of a Technical Member appointed as such, then a Bench of the Intellectual Property Appellate Board may consist of the Chairman and the Vice-Chairman.

[No. F-8/5/04-IRS]
UMESH KUMAR, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.